प्र.क. आर.सी.टी 589/2022

26-06-2025

शासन वि. सर्जन भील।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

अभियुक्त **सर्जन भील** अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त **सर्जन भील** की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त **सर्जन भील** को जारी गिरफतारी वारंट तामील, अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त पर धारा 25/27 आयुद्य अधिनियम के संबंध में संज्ञान लिया गया है। प्रकरण लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहा है, जिस कारण उसके विरूद्ध प्रकरण में नियमित रूप से गिरफतारी वारंट जारी किये जा रहे हैं, जो कि बार–बार अदम तामील प्राप्त हुये हैं। प्रकरण में बार–बार अभियुक्त के विरूद्ध गिरफतारी वारण्ट जारी किये जाने के उपरांत भी अभियुक्त को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह समाधान है कि अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अनुपस्थित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82 एवं 83 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः अभियुक्त को फरार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः **अभियुक्त सर्जन पुत्र रामभरोसा भील आयु 26 वर्ष निवासी पीपलखेडी चाचौडा जिला गुना को धारा 299 द.प्र.सं. के तहत स्थाई रूप से फरार घोषित किया जाता है**।

स्थाई गिरफतारी वारण्ट की संबंधित से प्राप्ति ली जाकर प्रकरण में संलग्न की जाये एवं जावक क्रमांक आदेश पत्रिका के हाशिये पर अंकित किया जाये।

प्रकरण के शीर्ष पर लाल स्याही से नोट लगाया जाये कि प्रकरण में अभियुक्त फरार है, प्रकरण को सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण का सी.आई.एस. में परिणाम दर्ज कर समयावधि में अभिलेख अभिलेखागार भेजा जाये।

सुश्री प्रियम सेन
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चाचौड़ा, जिला गुना म.प्र

PRIYAM SEN

Digitally signed by PRIYAM SEN
Date: 2025.06.26 17:39:29 +0530